कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कॉपरेटिव) की बैठक सं0 8/2001 दिनांक 3-3-2001 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- श्री आर.एस. गठाला, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।

2- श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर ।

3- श्री आर. दयाल, निदेशक(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।

4- श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे -

1- श्री पी.एस. राजावत, प्राधिकृत अधिकारी, जोन सी-1, जविप्रा, जयपुर ।

2- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

3- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

4- श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, सहायक नगर नियोजक, जोन सी-1, जविप्रा, जयपुर ।

---

(1) एजेण्डा आइटम :-

1.1- एजेण्डा सं0 8/2001-1 :- छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स. समिति की योजना रामद्वारा कॉलोनी के अनुमोदन के संबंध में :-

वरिष्ठ नगर नियोजक(कॉपरेटिव) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं जोन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया गया । प्राधिकृत अधिकारी, जोन सी-1 ने बताया कि स्कीम में आने वाली भूमि की 90 बी की कार्यवाही हो चुकी है । पूर्व अनुमोदित मानचित्र के अन्तर्गत कोई रूपान्तरण/पट्टा आदेश जारी नहीं हुआ है । बाद विचार-विमर्श योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तों के साथ किया गया -

1- मास्टर विकास योजना 2011 में सांगानेर मानसरोवर सड़क की चौड़ाई 200 फिट दर्शायी है अतः इस प्रस्तावित सड़क में आने वाले भूखण्ड यथा- 1 से 8, 21 से 23, 41 से 45; 82 से 84, 95 को पूर्ण रूप से एवं 85 से 88 और 94 के आंशिक भाग को अस्वीकृत किया गया ।

2- फैसिलिटी क्षेत्र में 5 दुकाने प्रस्तावित है जिन्हें निरस्त किया गया और फैसिलिटी क्षेत्र को फैसिलिटी के रूप में ही रखे जाने का निर्णय लिया गया । मौके पर ये दुकाने निर्मित नहीं है ।

3- 200 फिट मुख्य सांगानेर रोड़ में आने वाली सरकारी भूमि को योजना क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाये और तत्पश्चात् यदि योजना का क्षेत्र क्रय किये गये क्षेत्र से ज्यादा आता है तो नियमानुसार अधिक भूमि को राजकीय भूमि मानकर नियमन की कार्यवाही की जाये ।

4- भूखण्ड् सं0 89, 93 मौके के अनुसार अनुमोदित किए गए ।

5- पूर्व बैठक दिनांक 29-3-85 में स्वीकृत मानचित्र को उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाकर जारी किया जाए ।

1•2- समय के अभाव में अन्य प्रकरण स्थगित किए गए । जिन पर आगामी बैठक में विचार किया जायेगा ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कॉपरेटिव)
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक: जविप्रा/वननि/कॉपरेटिव/2001/डी-60
दिनांक : 14-3-2001

प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
3- निदेशक(आयोजना)/(विधि)/(वित्त)/(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।
4- अति•आयुक्त(भू-रूपान्तरण) जविप्रा, जयपुर ।
5- उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक,जोन सी-1,जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव,
बीपीसी-11(कॉपरेटिव)